Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 9, 2010
(PHGN. 18, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th March, 2010

No. 4—HLA of 2010/15.—The Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 4—HLA of 2010

THE HARYANA SPECIAL ECONOMIC ZONE (AMENDMENT) BILL, 2010

A

BILL

further to amend the Haryana Special Economic Zone Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Haryana Special Economic Zone (Amendment) Act, 2010. Short title.

2. In sub-section (2) of section 8 of the Haryana Special Economic Zone Act, 2005 (hereinafter called the principal Act), in clauses (c) and (f), after the words "lease or otherwise", the words "excluding sale" shall be inserted. Amendment of section 8 of Haryana Act 9 of 2006.

3. In sub-section (2) of section 11 of the principal Act,— Amendment of section 11 of Haryana Act 9 of 2006.

(i) for the sign"." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following provisos shall be added at the end, namely :—

"Provided that the stamp duty paid by the Developer in respect of the transactions of immovable property entered into, after the commencement of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act 28 of 2005) but prior to the notification of the area as Special Economic Zone, shall be refunded after the Special Economic Zone is so notified:

Provided further that appropriate entries shall be made in the revenue records against the land so notified as Special Economic Zone to the effect that in respect of the same the stamp duty has either been refunded or not paid and its further sale by the Developer shall not be permissible unless the Special Economic Zone has been denotified and the benefit of the stamp duty availed is remitted to the Revenue Department by him with interest at the rate of 12% per annum on the said amount chargeable with effect from the date the refund was made or the stamp duty was not paid, as the case may be, to the date of remission and a certificate is obtained in this regard from the revenue authorities.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana SEZ Act, 2005 (Act No. 9 of 2006) is being implemented in the State for the last more than four years. During the course of implementation, a need has been felt to reconsider some of the provisions. It has been observed that there is no enabling provision in the State Act for refund of the stamp duty paid by a developer on registration of land purchased for the SEZ before its notification whereas the Central Act provides for exemption thereof. Exempting such transactions before a SEZ is notified by the Central Government has not been found a financially prudent option. As such, the need has been felt for making an enabling provision to permit refund of the stamp duty already paid once a SEZ is notified. The Legal Remembrancer and Secretary, Legislative Department has advised that the State Government (in the Industries and Commerce Department) should carry out an appropriate enabling amendment in Sub-section 2 of Section 11 of Haryana SEZ Act, 2005 so as to accommodate the provisions for refund of stamp duty to make it consistent with the provisions of the Central SEZ Act, 2005.

Necessary amendment is required to be carried out in the Haryana SEZ Act, 2005 in order to achieve the stated objective. Hence, the changes are proposed to be brought out through Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010.

Hence, the Bill.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Industries Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 9th March, 2010.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Haryana Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2010 shall enable the refund of stamp duty already paid on transactions of the immovable property conducted before the Notification of the SEZ to the developer. It is, however, not possible to assess the sacrifice of revenue likely to accrue to State Exchequer on this account at this stage as the same would depend on the claims received in due course of time.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 17 of the Haryana Special Economic Zone Act, 2005 contains a general provision for 'Power to make rules' delegated to the executive *i.e.* State Government. The provisions of the above Bill *ibid* nowhere override the normal scope of delegation. Hence, the memorandum evidently shows that the rule making provisions have been made to carry out the purposes of the Act.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 4-एच० एल० ए०

हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) विधेयक, 2010

हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन

अधिनियम, 2005, को आगे

संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

2006 का हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 8 का संशोधन।

2. हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उप-धारा (2) में,—

(i) खण्ड (ग) में; "पट्टे या" शब्दों के बाद, "विक्रय को छोड़कर" शब्द रखे जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (च) में, "पट्टा या" शब्दों के बाद, "विक्रय को छोड़कर" शब्द रखे जाएंगे।

2006 का हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 28) के प्रारम्भ के बाद, किन्तु विशेष आर्थिक ज़ोन के रूप में क्षेत्र की अधिसूचना से पूर्व किए गए अचल सम्पत्ति के संव्यवहार के संबंध में विकासक द्वारा भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार अधिसूचित विशेष आर्थिक ज़ोन के बाद वापस किया जाएगा :

परन्तु यह और कि विशेष आर्थिक ज़ोन के रूप में इस प्रकार अधिसूचित भूमि के विरुद्ध राजस्व अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां इस प्रभाव से की जाएंगी

कि उसके संबंध में या तो स्टाम्प शुल्क वापस किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है तथा इसका विकासक द्वारा आगे विक्रय तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि विशेष आर्थिक ज़ोन की अधिसूचना वापस न ली गई हो तथा उस द्वारा प्राप्त किया गया स्टाम्प शुल्क का लाभ उक्त प्रभार्य राशि पर उस तिथि से जिसको वापस किया गया था या स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जैसी भी स्थिति हो, छूट की तिथि से तथा राजस्व प्राधिकारियों से इस संबंध में प्रमाण-पत्र की प्राप्ति तक उस द्वारा प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित राजस्व विभाग को वापस किया जाएगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (2006 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9) को राज्य में पिछले चार वर्षों से अधिक समय से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वित के दौरान, अनुभव किया गया कि कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। देखने में आया है कि राज्य अधिनियम में उन विकासकों की स्टाम्प शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिन्होंने विशेष आर्थिक ज़ोन अधिसूचित होने से पहले, भूमि खरीद कर रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि केन्द्रीय अधिनियम में ऐसी छूट का प्रावधान है। विशेष आर्थिक ज़ोन के अधिसूचित करने से पहले के संव्यवहारों पर ऐसी छूट को, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय तौर पर व्यवहारिक विकल्प नहीं पाया है। इसलिए, विशेष आर्थिक ज़ोन अधिसूचित हो जाने से पहले, अदा स्टाम्प शुल्क की छूट का प्रावधान करने की आवश्यकता अनुभव की गई है तथा विधि परामर्शी एवं सचिव, विधायी विभाग ने भी सुझाव दिया है कि राज्य सरकार (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में) हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा 2 में उपयुक्त संशोधन लाएं, ताकि केन्द्रीय विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 के अनुरूप स्टाम्प शुल्क की वापसी का प्रावधान हो सके।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए, हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) विधेयक, 2010 में संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अतः, विधेयक।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
उद्योग मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
9 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) विधेयक, 2010 के अन्तर्गत विशेष आर्थिक ज़ोन के अन्दर अचल सम्पत्ति से संबंधित संव्यवहारों, जो कि विशेष आर्थिक ज़ोन की अधिसूचना से पहले कार्यान्वित हुए हैं, उनकी स्टाम्प शुल्क की वापसी विकासकों को की जाएगी। लेकिन इस समय उससे राज्य के कोष को होने वाली हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह तो समय-समय पर प्राप्त होने वाले क्लेमज़ पर निर्भर करेगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

हरियाणा विशेष आर्थिक ज़ोन विधेयक, 2005 की धारा 17 के अन्तर्गत कार्यकारिणी अर्थात्-राज्य सरकार को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का सामान्य उपबन्ध की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त विधेयक के उपबन्ध प्रत्यायोजन के सामान्य परिधि का कहीं भी अध्यारोही नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियम बनाने के उपबन्ध मात्र अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए उपबन्धित किये गये हैं।

46990—H.V.S.—H.G.P., Chd.